कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–310/2319 नवा रायपुर, दिनांक 20/09/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषयः– **Diversion of 2.025 ha. Forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 in favour of Jayaswal NECO Industry Limited Siltara, Raipur proposed for alternavive Approach Road for transportation of iron ore at Chhotedongar Iron Ore Mine, Narayanpur District in the State of Chhattisgarh -reg.**

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-8/22/2023-IRO-Raipur/ 1591 दिनांक 29-02-2024

2. छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/ एफ 5–18/ 2023/ 10–2 दिनांक 05.08.2024

3. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. चि./ 2024 / 2370 दिनांक 08.08.2024

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भ पत्र–1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय नवा रायपुर के पत्र दिनांक 29.02.2024 द्वारा मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज, सिलतरा, रायपुर को नारायणपुर जिले के नारायणपुर वन मंडल में लौह आयस्क खदान तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु रकबा 2.025 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति (In-principal/ Stage-I) प्रदान की गई है जिसकी संसूचना संदर्भ पत्र–2 के माध्यम से छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय द्वारा दी गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति (In-principal/ Stage-I) के अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा संदर्भित पत्र–3 के माध्यम से अनुशंसा सहित प्रेषित किया है, बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः–

No.	Conditions	Compliance
i.	Legal Status of the diverted forest land shall remain unchanged.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक –1**
ii.	The Proposed road is a haul road and will not be converted to paved road. Width of RoW (right of way) for the Road shall be limited to 20 m. Old road approved by the Ministry which is included on 91.00 ha. proposal. (Diversion of remaining	प्रस्तावित सड़क एक हॉल रोड़ है। इसे पक्की सड़क में परिवर्तित नहीं किये जाने के संबंध में आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–2**

No.	Conditions	Compliance
	101.25 ha. of forest land (Originally applied area for 192.25 ha out of which 91.0 ha 'in-principle' approved) in favour of M/s. Jayaswal NECO Industries Limited for mining of iron ore located in village Chhote Dongar, District Narayanpur, State Chhattisgarh) will be used exclusively for security purposes only;	
iii.	The proposed roads after the completion of the project with the existing carriageway in the forest area, which will not be used, shall be plantation/re-vegetation of indigenous species work done by the concerned forest department at the cost of the user agency and the land shall be handed over back to the State Forest Department.	वन क्षेत्र में मौजूदा कैरिजवे के साथ परियोजना के पूरा होने के बाद प्रस्तावित सड़कें, जिनका उपयोग नहीं किया जायेगा, आवेदक संस्थान के व्यय पर स्वदेशी प्रजातियों के प्रस्तावित सड़क पर पुनः पौध रोपण का कार्य किये जायेगें। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक –3 ए**
iv a).	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department carried out in equal area of 2.025 ha. Non-Forest land (Private land) in village- Kaudosalhebhat, Koylibeda range at khasra no. 18 in West Bhanuparatappur Forest Division, Kanker at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	आवेदक मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सिलतरा रायपुर को ग्राम छोटेडोंगर में लौह अयस्क परिवहन हेतु वैकल्पिक सड़क निर्माण के लिए प्रथम स्वीकृत रकबा 2.025 हे.के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित ग्राम कौड़ोसाल्हेभाट में प्रस्तावित सिंचित मिश्रित वृक्षारोण किया जावेगा। **संलग्नक –3 बी**
iv.b).	The Non-Forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department and NFL shall be notified by the State Government as RF under Section-4 or Protected Forests under Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section(s) of the local forest Act, before issue of the 'Final' approval under the Adhiniyam. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with a copy of the original notification declaring the non-forest land as RF/PF, along with compliance of 'in-principle' approval.	प्रकरण के विरूद्व आवेदक संस्थान द्वारा स्वामित्व की निजी भूमि ग्राम – कोड़ोसाल्हेभाट पटवारी हल्का नंबर 37 रा.नि.म. कोयलीबेड़ा में स्थित खसरा क्रमांक 18 तहसील पंखाजूर जिला उ.ब. कांकेर रकबा – 2.050 हे.वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु क्रय कर वन विभाग के नाम से नामांतरण एवं हस्तांरण किया गया है। उक्त भूमि का भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने हेतु कार्यालयीन पत्र दिनांक 13.09.2024 से छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित किया गया है। **संलग्नक –4**
v.	The cost of compensatory afforestation at the current wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance to the Forest Department by the User Agency. The CA will be maintained for 10 years. The CA Scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	आवेदक संस्थान के द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रुपये 19,81,664.00 दिनांक 23.04.2024 अंतर की राशि रुपये 4,16,180.00 दिनांक 15.05.2024 कुल राशि रुपये 23,97,844.00 ई–चालान के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा किया गया है। चालान की छायाप्रति संलग्न है। **संलग्नक –5**
vi.	The compensatory afforestation scheme, as approved, shall be implemented by the State Forest Department at the project cost within a period of three years from the date of grant of 'Final' approval.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के परियोजना प्राक्कलन के अनुसार अंतिम स्वीकृति दिनांक से तीन साल के भीतर परियोजना लागत पर वृक्षारोपण कार्य की जावेगी। **संलग्नक –6**

No.	Conditions	Compliance
vii. a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 2.025 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in I.A. NO. 566 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by thisMinistryvideletterNo. 5-1/1998-FC(Pt.II) dated 18/09/2003, letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, letter No. 5-3/2007-FCdated 05/02/2009 and letter No. 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 06.01.2022 in this regard.	आवेदक द्वारा एन.पी.व्ही की राशि रुपये 24,87,895.00 को ऑन–लाईन ई–चालान के माध्यम से दिनांक 23.04.2024 के द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंगलुर के छत्तीसगढ़ कैम्पा खाता में आवेदक संस्थान द्वारा जमा किया गया हैं। चालान की छायाप्रति संलग्न है। **संलग्नक –7**
vii b).	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becomes due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an Undertaking to this effect.	सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई दिशानिर्देशों के अनुसरण में एनपीव्ही की अतिरिक्त राशि जमा करने हेतु वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। **संलग्नक –8**
viii.	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest department.	अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन) प्रभाग से व्यपवर्तित वन भूमि में खड़े वृक्षों की न्यूनतम संख्या में कटाई की अनुमति प्राप्ति उपरांत ही आवेदक संस्थान द्वारा विदोहन परिवहन हेतु जमा राशि से कटाई की जावेगी। **संलग्नक –9**
ix.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/);	आवेदक संस्थान के द्वारा एन.पी.व्ही. एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की कुल राशि 48,85,739.00 रूपये ऑनलाईन ई–चालान के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंगलुर के छत्तीसगढ़ कैम्पा खाता में जमा किया गया है **संलग्नक –10।** जमा राशि का विवरण निम्नानुसार है:– क्र. / दिनांक / प्रयोजन / राशि 1 / 23.04.2024 / वैकल्पिक वृक्षारोपण / 19,81,664 2 / 23.04.2024 / प्रत्याशा मूल्य / 24,87,895 3 / 15.05.2024 / सी.ए. अंतर की राशि / 4,16,180 **योग** / **48,85,739**
x	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting 4 feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar.	व्यपवर्तित भूमि की सीमा का सीमाकंन स्वंय के व्यय से करेगी एवं 4 फीट उँचाई का आर.सी.सी. पिल्लर लगायेगी जिसमें पिल्लर से पिल्लर की दूरी अंकित करेगी। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक– 11**
xi.	The StateGovernment of Chhattisgarh/Nodal Officer(FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (RecognitionofForestRights) Act, 2006(No. 2 of 2007) before issuing an order for	वन अधिकार अधिनियम, 2006 अंतर्गत जिला कलेक्टर का वन अधिकार पत्र वितरण से संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। **संलग्नक –12**

No.	Conditions	Compliance
	handing over of forest land to the User Agency as per Rule -11 (7) of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 dated 29.11.2023.	
xii.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.	व्यपवर्तित वन भूमि का उपयोग केवल प्रस्ताव में वर्णित उदेदशों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किये जाने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–13**
xiii	User agency shall raise strip plantation on both side and central verge of the road as per the IRC norms.	आई.आर.सी.नार्म्स के अनुसार सड़क के दोनो ओर वृक्षारोपण करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–14**
xiv.	Speed regulation signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	आवेदक संस्थान द्वारा शर्त के पालन हेतु वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–15**
xv.	To improve the Forest/tree cover and to reduce pollution, as mandated in National Forest Policy, 1988 and Environmental (Protection) Act, 1986 respectively, the User Agency shall raise 7500 plants of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental indigenous/ local for 10 years. At least 50% of seedlings shall be distributed among villagers as per choice of villagers. The concerned JFMC's shall maintain record of plantation/ seedling distribution to villagers.	आवेदक संस्थान द्वारा शर्त के पालन हेतु वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–16**
xvi.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection)Act, 1986, if applicable.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदक संस्थान बाध्य है, वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–17**
xvii.	The State Forest Department shall ensure that all proposed structures provide safe passage for the smooth movement of wildlife and cattle as suggested by the Wildlife Institute of India in manual entitled "Eco-friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife, published in 2016.	आवेदक संस्थान द्वारा शर्त के पालन हेतु वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–18**
xviii.	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रस्तावित वन भूमि में कोई लेबर कैम्प स्थापित नहीं करने के संबंध में आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–19**
xix.	The User Agency shall provide fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest area.	क्षेत्र में कार्यरत स्टाफ एंव लेबरों को उनकी मांग के अनुसार फ्यूल उपलब्ध कराने के संबंध में आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–20**
xx.	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.	प्रस्तावित क्षेत्र के ले–आऊट प्लान को केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं बदलने के संबंध में आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–21**
xxi.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया रास्ता नहीं बनाने के संबंध में आवेदक संस्थान का वचन पत्र

No.	Conditions	Compliance
		संलग्न है। **संलग्नक–22**
xxii.	The Period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the lease to begranted in favour of user agency or the project life, whichever is less.	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–23**
xxiii.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances betransferred to any other agencies, department or person without prior approval of Government of India.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में भारत सरकार के पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करने के संबंध में आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–24**
xxiv.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act,1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt. 29/01/2018.	आवेदक संस्थान द्वारा शर्त के पालन हेतु वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–25**
xxv.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	आवेदक संस्थान द्वारा शर्त के पालन हेतु वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–26**
xxvi.	The compliance report shall be uploaded one-**portal** (https://parivesh.nic.in/).	आवेदक संस्थान द्वारा पालन प्रतिवेदन ई–पोर्टल पर अपलोड किया गया है। **संलग्नक–26**

अतः संदर्भ पत्र–1 के अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर से प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो अनुशंसा सहित 02 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (दो प्रति में)

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र./वन (सं. एवं सं.)अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–310/2820 नवा रायपुर, दिनांक 20/09/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।

– भारत सरकार, उप कार्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 29.02.2024 की सहपठित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के चेप्टर–4 पैरा 12 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के अनुमोदन उपरांत **एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति जारी की जाती है।** किये जाने वाले कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित किये गये जाबदर तथा नार्म्स के अधीन रहेंगे तथा मुख्य वन संरक्षक इसका लेखा वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वन मंडल से मासिक रूप से प्राप्त करेंगे। यह कार्यनुमति पत्र जारी होने के **केवल एक वर्ष तक** ही प्रभावी रहेगी।

2. **वन मंडलाधिकारी,** नारायणपुर वन मंडल, नारायणपुर, छत्तीसगढ़।
3. **महाप्रबंधक (खान),** मेसर्स जायसवाल निको इण्ड. लिमि. सिलतरा, रायपुर– 493111

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र./वन (सं. एवं सं.)अ)
छत्तीसगढ़